रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 454] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 7, 2000/आषाढ़ 16, 1922
No. 454] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 7, 2000/ASADHA 16, 1922

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

(सड़क पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2000

का. आ. 648 (अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग के भागरूप में अर्थात् ग्राम नसीराबाद के निकट 415/800 कि.मी. में सड़क ऊपरि पुल (समतल क्रासिंग के बदले में) और पहुंच मार्गों और जलगांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-6 के 414/000 से 419/000 कि.मी. खंड के सुदृढ़ीकरण के (जिसे इसमें इसके पश्चात् पुल कहा गया है) निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में अंतर्वलित व्यय विनिहित पूंजी पर ब्याज, विनिहित पूंजी के संबंध में युक्तियुक्त वापसी यातायात की मात्रा तथा मैसर्स अशोक वास्तुशिल्प (प्राइवेट) लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 1/2 रीवर व्यू, अशोक स्तंभ, नासिक-422002 में स्थित है, के साथ किए गए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि पुल के उपयोग के लिए अभियांत्रिक यानों पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस का उद्ग्रहण और संदाय किया जाएगा और उक्त मैसर्स अशोक वास्तुशिल्प प्राइवेट लिमिटेड को तारीख 15-7-2000 (इसके खुलने की तारीख) से 15 अक्तूबर, 2009 तक उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस संगृहीत करने और उन्हें धारित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

(पुल प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली दरें)

		प्रति वाहन प्रति चक्र शुल्क दरें (रुपये)		
		रियायत अवधि का वर्ष		
क्रम सं.	यानों के प्रवर्ग	15-7-2000 (खुलने की तारीख) से 15-11-2002	16-11-2002 से 15-11-2007	16-11-2007 से 15-10-2009
1	2	3	4	5
1.	मोटर साईकिल, स्कूटर या कोई अन्य अभियांत्रिक रूप से नोदित दुपहिया यान	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
2.	मोटर कार, टैक्सी, जीप, पिकअप वैन, स्टेशन वैगन, टेम्पो, ऑटोरिक्शा, तिपहिया स्कूटर या ट्रेलर के साथ या बिना अन्य स्वचालित हल्के यान	5	8	10
3.	बस	15	20	25
4.	ट्रक या टैंकर	20	25	30
5.	भारी यान जिसके अंतर्गत ट्रक ट्रेलर संयोजन भी है, अन्य अभियांत्रिक रूप से नोदित यान जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं हैं जैसे मोबाइल क्रेन, डोजर, अर्थ मूवर, रोड रोलर, कंटेनर	30	35	40

नोट :

1. जब वही यान एक दिन में एक बार से अधिक पुल पार करता है तो उपयोगकर्ता को यह विकल्प होगा कि वह उपरोक्त दरों का डेढ़ गुणा संदाय करे जब वह पहली खेप में पुल को पार करता है या यान उसका निरन्तर उपयोग करता है और पूरे एक मास के लिए या उससे भी अधिक अवधि से परे के लिए भी निरन्तर और बारबार उपयोग करता है तो यान का स्वामी ऊपर यथा विनिर्दिष्ट उसको लागू एकल दर के तीस गुणे के बराबर प्रभारों का संदाय करके कोई मासिक पास रख सकेगा।

2. ऊपर विनिर्दिष्ट फीस से निम्नलिखित प्रकार के यान को छूट प्रदान की गई है, अर्थात् :—

(i) रक्षा यान,
(ii) अति महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीक वाले यान,
(iii) पुलिस यान,
(iv) अग्निशमन यान,
(v) एम्बुलेंस,
(vi) अंत्येष्टि यान,
(vii) डाक व तार विभाग के यान,
(viii) कर्तव्य पर केन्द्रीय और राज्य सरकार के यान।

3. निम्नलिखित से सम्बन्धित यान अति महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीक वाले यान समझे जाएंगे, अर्थात् :—

(i) भारत के राष्ट्रपति,
(ii) भारत के उपराष्ट्रपति,
(iii) केन्द्रीय और राज्य मंत्री,
(iv) लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनकी प्रास्थिति कैबिनेट मंत्री की हो,
(v) राज्यों के राज्यपाल,
(vi) संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल,
(vii) केन्द्रीय या राज्य विधान मंडलों के अध्यक्ष या सभापति,
(viii) स्थानीय निर्वाचित निकायों के कार्यपालक सभासद,
(ix) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति,
(x) सीडी प्रतीक वाली कारों का उपयोग कर रहे भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक।

4. ऊपर उल्लिखित दरें पुल के आसपास के सहज दृश्य स्थानों में सन्निर्मित किए गए किसी बोर्ड पर सम्प्रदर्शित की जाएंगी। उक्त मैसर्स अशोक वास्तुशिल्प (प्राइवेट) लिमिटेड या उसके प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधि संदायकर्ता को प्रत्येक अवसर पर इस अधिसूचना के अधीन वसूल की गई फीस की रसीद देंगे।

[फा. सं. आर डब्ल्यू/एन एच-12013/172/96-डब्ल्यू (एमएएच)]

अशोक जोशी, सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Department of Road Transport and Highways)

(ROADS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2000

S.O. 648(E).— In exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) , the Central Government, having regard to expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the part of National Highway, that is, Road Over Bridge in Kms.415/800 (in lieu of level crossing) near Nashirabad village and its approaches and strengthening in Km.414/000 to Kms 419/000 of National Highway-6 in District Jalgaon (hereinafter referred as the bridge) , interest on the capital invested, reasonable return on the capital invested, the volume of traffic and the period of agreement entered into with M/s Ashoka Vastushilp Private Limited having its registered office at 1/2 River View Ashok Stambh, NASHIK-422002, hereby notifies that there shall be levied and paid fees on mechanic vehicles for the use of the bridge at the rates specified in the Schedule below and authorizes the said M/s Ashoka Vastushilp Private Limited to collect and retain fees at the rates specified in the said Schedule from 15.7.2000 *(the date of its opening)* to 15th October, 2009.

SCHEDULE

(Rates to be recovered from users of the bridge)

Sl. No.	Categories of Vehicles	Fee rates in Rs. per vehicle per trip		
		Year of concession period		
		15.7.2000 (The date of opening) to 15.11.2002	16.11.2002 to 15.11.2007	16.11.2007 to 15.10.2009
1.	Motor cycle, scooter or any other two wheeler mechanically propelled vehicle	Nil	Nil	Nil
2.	Motor car, Taxi, Jeep, Pick up van, Station Wagon, Tempo, Auto-rickshaw , three wheeler scooter or other auto driven light vehicle with or without trailor.	5	8	10
3.	Buses	15	20	25
4.	Trucks or tanker	20	25	30
5.	Heavy vehicle including truck trailor combination other mechanically propelled vehicle not mentioned above like mobile crane, dozer, earth mover, road roller, container	30	35	40

NOTES :

1. When the same vehicle has to cross the bridge more than once in a day , the user shall have the option to pay one and half times the above rates while crossing the bridge in the first trip itself or if the vehicle has to use the bridge continuously and quite frequently for entire month or even beyond that for much longer period, the vehicle owner can have a monthly pass on the payment of charges equal to 30 single rate applicable to it as specified in the Schedule above.

2. Following types of vehicles are exempted from the fees specified in the schedule, namely:-
   (i) Defence vehicles,
   (ii) Vehicles with VIP symbols,
   (iii) Police Vehicles,
   (iv) Fire Fighting Vehicles,
   (v) Ambulances,
   (vi) Funeral Vans,
   (vii) Post and Telegraphs Department Vehicles and
   (viii) Central and State Government Vehicles.

3. The vehicles officially belonging to the following shall be deemed to be vehicles having VIP symbols, namely:-
   i) President of India,
   ii) Vice-President of India,
   iii) Central and State Minister,
   iv) Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha, State Legislature having the status of Cabinet Minister,
   v) Governors of States,
   vi) Lieutenant Governors of Union Territories,
   vii) Speakers or Chairman of Central and State Legislatures,
   viii) Executive Councilors of Local Elected Bodies,
   ix) Foreign dignitaries on State visit to India,
   x) Foreign Diplomats stationed in India using cars with Car Diplomatic (CD) symbols.

4. The above mentioned rates shall be displayed on a board erected at conspicuous places in the vicinity of the bridge. The said M/s Ashoka Vastushilp Private Limited or its authorised legal representative shall give a receipt to the payer on each and every occasion of recovery of fee under this notification.

[F. No. RW/NH-12013/172/96-W (Mah)]

ASHOKE JOSHI, Secy.